<u>LEGISLATIVE ASSEMBLY</u> NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)
Tuesday, 03 April 2018 / 13 Chaitra 1940 (Saka)

No. 76 2.13 PM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2.14 PM Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition sought to know about the notice of Calling Attention given by him under Rule-54.

The Chair stated that Notice of Calling Attention received from Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker under Rule-54 had been listed and he was not allowing any other Notice.

Shri Vijender Gupta and other Members of BJP stood up on their seats and started exchanging arguments with the Chair.

Uproar in the House.

(2.24 PM: Members of BJP walked out of the House in protest.)

2. 2.24 PM Special Mention(Rule-280):

The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:

- 1. Shri Som Dutt
- 2. Shri Pawan Kumar Sharma
- 3. Shri Madan Lal
- 4. Shri Ajay Dutt
- 5. Shri Shri Dutt Sharma
- 6. Shri Narayan Dutt Sharma
- 7. Shri Rajesh Rishi
- 8. Shri Ram Chander
- 9. Ms. Alka Lamba (Hon'ble Deputy Chief Minister intervened)
- 10. Shri Jagdeep Singh
- 3. 2.47 PM Papers laid on the Table :

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister laid copies of the following on the Table of the House (Hindi and English versions):

- I. Appropriation Accounts for the year 2016-17.
- II. Finance Accounts for the year 2016-17.
- III. Reports of the Comptroller & Auditor General of India:
 - a. Report No. 01 of 2018 State Finances.
 - b. Report No. 02 of 2018 Revenue and Social and Economic Sectors (PSUs).
 - c. Report No. 03 of 2018 Social, General and Economic Sectors (Non-PSUs).
- 4. 2.48 PM Motion to extend sitting of the House:

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister moved that the sitting of the Seventh Session of Sixth Delhi Legislative Assembly be convened on 04 April & 05 April, 2018. The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

5. 2.49 PM Announcements by Hon'ble Speaker:

The Chair announced that the notices of 'Special Mention under Rule-280' would be accepted upto 11 AM on 04 April 2018 for the sitting of the said date.

6. 2.50 PM Short Duration Discussion (Rule-55):

Shri Gulab Singh initiated discussion on the situation arising out of 'the difficulties being faced in disbursal of various pension schemes of Social Welfare and Women & Child Departments of GNCT of Delhi'.

The following Members participated in the Discussion:

- 1. Ms. Bandana Kumari
- 2. Shri Vishesh Ravi
- 3. Shri Rituraj Govind
- 4. Shri Ajesh Yadav
- 5. Shri Om Prakash Sharma
- 6. Shri Surender Singh
- 7. Shri Jarnail Singh

- 8. Shri Som Dutt
- 9. Shri Somnath Bharti
- 10. Shri Sukhbir Singh Dalal
- 11. Shri Jitender Singh Tomar
- 12. Shri Anil Kumar Bajpai
- 13. Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister made a statement.

Shri Rajendra Pal Gautam, Hon'ble Minister of Social Welfare replied to the discussion.

7. 4.11 PM Statement by Hon'ble Deputy Chief Minister on CAG Report:

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister made a statement on the Reports of Comptroller & Auditor General of India laid by him in the House.

Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition & Shri Somnath Bharti also expressed their views.

- 8. 5.07 PM The Chair adjourned the House for 30 minutes for Tea-Break.
- 9. 5.46 PM House reassembled.

Hon'ble Speaker in-Chair.

10. 5.47 PM Calling Attention (Rule-54):

Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker called the attention of the Hon'ble Minister of Urban Development towards 'hardships being faced by the 'Safai Karamcharis' of MCDs due to non-regularization of their services and lack of other basic facilities'.

The following Members participated in the Discussion:

- 1. Shri Somnath Bharti
- 2. Shri Ajay Dutt
- 3. Shri Manjinder Singh Sirsa

6.35 PM: Members of Aam Admi Party alleged that Shri Manjinder Singh Sirsa had used derogatory words and sought his apology.

They came into the well of the House and raised slogans.

Pandemonium in the House.

11. 6.41 PM The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Wednesday, 04 April 2018 due to continuous disturbance in the proceedings.

Delhi C. Velmurugan 03 April, 2018 Secretary

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समाचार भाग–1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या—76 2.13 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

1. 2.13 बजे श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उनके द्वारा नियम—54 के अंतर्गत दी गई ध्यानाकर्षण की सूचना के संबंध में जानना चाहा।

> अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नियम—54 के अंतर्गत सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष से प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचना को सूचीबद्ध कर लिया गया है और वे किसी अन्य सूचना की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

> श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा भारतीय जनता पार्टी के अन्य सदस्य अपने आसनों पर खड़े हो गये और अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क–वितर्क करने लगे।

सदन में शोर-शराबा।

(2.24 बजे : भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया)

2.24 बजे विशेष उल्लेख (नियम–280) :

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमित से नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उढाये:-

- 1. श्री सोम दत्त
- 2. श्री पवन कुमार शर्मा
- 3. श्री मदन लाल
- 4. श्री अजय दत्त
- 5. श्री श्रीदत्त शर्मा

- श्री नारायण दत्त शर्मा
- 7. श्री राजेश ऋषि
- 8. श्री राम चन्द्र
- 9. सुश्री अलका लाम्बा *(उप मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया)*
- 10. श्री जगदीप सिंह

3. 2.47 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत कागज़ात** :

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की हिन्दी—अंग्रेजी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत कीं :-

- 1. वर्ष 2016—17 हेतु विनियोजन लेखे
- 2. वर्ष 2016-17 हेत् वित्त लेखे
- 3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की प्रतियां:-
 - क) वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 01- राज्य वित्त
 - ख) वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 02- राजस्व और सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
 - ग) वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 03– सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

2.48 बजे सदन की बैठक बढाने का प्रस्तावः

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छटी दिल्ली विधानसभा के सातवें सत्र की बैटक दिनांक 04 अप्रैल एवं 05 अप्रैल, 2018 को भी आयोजित की जाये। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

5. 2.49 बजे अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा :

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि *नियम—280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख* के नोटिस दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 11 बजे तक उक्त तिथि की बैठक के लिए स्वीकार किये जायेंगे।

6. 2.50 बजे **अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)** :

श्री गुलाब सिंह ने "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभागों की विभिन्न पेंशन योजनाओं के वितरण में हो रही कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:—

- 1. श्रीमती बंदना कुमारी
- 2. श्री विशेष रवि
- 3. श्री ऋतुराज गोविंद
- 4. श्री अजेश यादव
- 5. श्री ओमप्रकाश शर्मा
- 6. श्री सुरेन्द्र सिंह
- 7. श्री जरनैल सिंह

- 8. श्री सोम दत्त
- 9. श्री सोमनाथ भारती
- 10. श्री सुखबीर सिंह दलाल
- 11. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
- 12. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
- 13. श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया।

श्री राजेन्द्रपाल गौतम, माननीय समाज कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

7. 4.11 बजे **नियंत्रक—महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य** : **श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री** ने उनके द्वारा सदन में प्रस्तुत भारत के नियंत्रक—महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा श्री सोमनाथ भारती ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

- 8. 5.07 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश के लिए 30 मिनट तक के लिए स्थगित की।
- 9. 5.46 बजे सदन पुनः समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
- 10. 5.47 बजे ध्यानाकर्षण (नियम-54) :

सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष ने "दिल्ली नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों की सेवाओं के नियमित न होने और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण उनको हो रही कठिनाईयों" के संबंध में माननीय शहरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया :

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

- 1. श्री सोमनाथ भारती
- 2. श्री अजय दत्त
- 3. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

6.35 बजे : आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अनादरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है तथा उनसे क्षमा याचना करने की मांग की।

वे सदन के वैल में आ गये और नारेबाजी करने लगे।

सदन में शोर-शराबा।

11. 6.41 बजे कार्यवाही में लगातार बाधा होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को अपराहन 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।

दिल्ली 03 अप्रैल, 2018 सी. वेलमुरूगन सचिव